न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी– रीना आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021
अनुवान अलीशेर आदि बनाम सुल्तान आदि
निर्णय दिनांक 05.07.2021

1. अलीशेर पुत्र आमीनशाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 35 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. मजीद पुत्र आमीनशाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 35 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. सुल्तान पुत्र आमीन शाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 35 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. आरीफ पुत्र आमीन शाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 26 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

– अप्रार्थीगण –

4. सलीम पुत्र आमीनशाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 26 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
5. रफीक पुत्र आमीनशाह जाति काजी निवासी वार्ड नं0 26 सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– गौण अप्रार्थीगण –

उपस्थितिः

1. श्री युसुफ अली खां एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री इलियास खां एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 01 ता 02।
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते अप्रार्थी संख्या 3।

निर्णय

प्रार्थी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर. टी. एक्ट के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 सभी स्व0 आमीनशाह के वंशज है तथा संयुक्त मुस्लिम परिवार के सदस्यगण है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 सभी संयुक्त रूप से एक ही परिवार में एकसाथ रहते आ रहे हैं और स्व0 आमीनशाह संयुक्त मुस्लिम परिवार के मुख्यकर्ता खानदान थे। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 के संयुक्त मुस्लिम परिवार के मुख्य कर्ताधर्ता स्व0 आमीनशाह पुत्र कमरदीन शाह थे। प्रार्थी सं0 1 सन् 1996 में एवं प्रार्थी सं0 2 सन् 2000 में विदेश कमाने के लिए चले गये जहां से अपनी कमाई अपने पिता आमीनशाह को भारत में भेजते थे तथा इसी दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 के पिता आमीनशाह ने अपनी पैतृक सम्पति खेत ख0 नं0 2 तादादी 23 बीघा 04 बिश्वा रोही उड़सर भेभरा तहसील सरदारशहर दिनांक 06.11.1996 को दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रय कर दी। उस समय अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा प्रार्थीगण के पिता स्व0

आमीनशाह ने प्रार्थीगण से वार्ता की थी कि उक्त पैतृक कृषि भूमि विक्रय कर सभी भाईयों के नाम से दूसरी भूमि क्रय कर लेंगे तो प्रार्थीगण उस समय विदेश में थे ने अपनी सहमति दे दी थी।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने स्व0 आमीनशाह की पैतृक कृषि भूमि की विक्रय से प्राप्त आय व प्रार्थीगण द्वारा विदेश से भेजे गये रूपयों को मिलाकर एक कृषि भूमि ख0 नं0 54 तादादी 28 बीघा 01 बिश्वा बारानी दोयम रोही मौजा आसपालसर कुंतलसर तहसील सरदारशहर में दिनांक 18.07.2008 को खरीद की थी। उस समय प्रार्थीगण में से प्रार्थी सं0 2 भी आया हुआ था। जिसने भी हां भर ली तब प्रार्थीगण के पिता स्व0 आमीन शाह व अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने प्रार्थीगण को बताया कि हम एक अन्य खेत क्रय कर रहे हैं जिसमें सभी भाईयों का ब0हि0ब0 हिस्सा होगा तथा हमें रूपयों की जरूरत है तो प्रार्थीगण ने उस समय 2,00,000/–रूपये अपने छोटे भाई प्रार्थी सं0 2 के साथ भेज दिये थे। जिससे अप्रार्थीगण ने खेत क्रय कर लिया। परन्तु अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने चालाकी करते हुए उक्त कृषि भूमि क्रय करते समय विक्रय पत्र केवल अपने नाम से पंजीकृत करवा लिया जबकि क्रयशुदा कृषि भूमि ख0 नं0 54 तादादी 28 बीघा 01 बिश्वा प्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की आय व पैतृक कृषि भूमि विक्रय से प्राप्त आय व प्रार्थीगण द्वारा भेजे गये रूपयों द्वारा खरीद की हुई होने से प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में बनता है।

वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 54 तादादी 28 बीघा 01 बिश्वा हाल ख0 नं0 65 तादादी 7.1000 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर कुन्तलसर तहसील सरदारशहर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 की संयुक्त आय से खरीदशुदा पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 का बराबर हक हिस्सा निहित है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/6 एवं गौण अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। जिस पर अपने हिस्सो के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में बनता है।

प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा पैतृक विरास्तन बनता है। परन्तु वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से बना हुआ है। जो कि गलत है। जिसे दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। इसलिए वादगत कृषि भूमि हाल ख0नं0 65 तादादी 7.1000 हैक्टेयर रोही आसपालसर कुन्तलसर के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वादगत कृषि भूमि हाल ख0 नं0 65 तादादी 7.1000 हैक्टेयर रोही आसपालसर कुंतलसर का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के नाम से है। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 अपने नाम से गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर वादगत कृषि भूमि को औने पौने दामों में अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय कर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 वादगत कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा भारी असुविधा तथा परेशानियों का सामना करना पडेगा और वाद बाहुल्यता बढेगी इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 को जरिये अस्थाई व्यादेश से वर्जित करवाये कि वोह वादगत कृषि भूमि को रहन विक्रय दान वसीयत आदि कर खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा ना ही प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 को कब्जा काश्त से बेदखल करे ना ही ऐस कार्य व उपकार्य करे तथा ना करवाये जिससे प्रार्थीगण तथा गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 के हक हिस्से व कब्जा काश्त पर विपरीत असर पड़े।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश कर निवेदन किया गया कि जरिये अस्थाई व्यादेश की डिक्री से अप्रार्थी सं0 1 ता 7 को वर्जित किया जावे कि वो कृषि भूमि ख0 नं0 54 तादादी 28 बीघा 01 बिश्वा हाल ख0 नं0 65 तादादी 7.1000 हैक्टेयर रोही मौजा आसपालसर कुन्तलसर तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दीगर शख्स को रहन, विक्रय आदि कर खुर्द–बुर्द ना करे, ना ही प्रार्थीगण को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करे तथा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे अथवा करवाये जिससे प्रार्थीगण के पैतृक विरास्तन हक अधिकारों व कब्जा काश्त पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी सं0 3 को पाबन्द किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि सम्बन्धित दस्तावेजात रहननामा, विक्रय पत्र आदि का पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट लेकर प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 02

की तरफ से श्री इलियास खां अधिवक्ता उपस्थित आये। गौण अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 05 विधिवत तामिल उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं आये अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 जवाब पेश नहीं करना चाहते। अतः इनका जवाब बन्द किया गया।

बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी सं0 4 ता 5 सभी स्व0 आमीनशाह के वंशज है तथा संयुक्त मुस्लिम परिवार के सदस्यगण है। प्रार्थी सं0 1 सन् 1996 में एवं प्रार्थी सं0 2 सन् 2000 में विदेश कमाने के लिए चले गये जहां से अपनी कमाई अपने पिता आमीनशाह को भारत में भेजते थे। आमीनशाह ने अपनी पैतृक सम्पति खेत ख0 नं0 2 तादादी 23 बीघा 04 बिश्वा रोही उड़सर भेभरा तहसील सरदारशहर दिनांक 06.11.1996 को दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रय कर दी। उस समय अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा प्रार्थीगण के पिता स्व0 आमीनशाह ने प्रार्थीगण से वार्ता की थी कि उक्त पैतृक कृषि भूमि विक्रय कर सभी भाईयों के नाम से दूसरी भूमि क्रय कर लेंगे तो प्रार्थीगण उस समय विदेश में थे ने अपनी सहमति दे दी थी। आमीन शाह व अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने प्रार्थीगण को बताया कि हम एक अन्य खेत क्रय कर रहे हैं जिसमें सभी भाईयों का ब0हि0ब0 हिस्सा होगा तथा हमें रूपयों की जरूरत है तो प्रार्थीगण ने उस समय 2,00,000/–रूपये अपने छोटे भाई प्रार्थी सं0 2 के साथ भेज दिये थे। इस प्रकार सबकी सहमति से दिनांक 18.07.2008 को कृषि भूमि ख0 नं0 54 तादादी 28 बीघा 01 बिश्वा बारानी दोयम रोही मौजा आसपालसर कुंतलसर तहसील सरदारशहर में आमीनशाह की पैतृक कृषि भूमि की विक्रय से प्राप्त आय व प्रार्थीगण द्वारा विदेश से भेजे गये रूपयों को मिलाकर खरीद ली परन्तु पंजीयन के समय अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने चालाकी करते हुए उक्त कृषि भूमि केवल अपने नाम से पंजीकृत करवा ली जबकी वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/6 एवं गौण अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है एवं इसी अनुरूप ब0हि0ब0 दर्ज किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अनुतोष प्रदान किया जावें क्योकि यदि वादगत कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है तो खातेदारी काश्तकारी कब्जा काश्त में दखलअंदाजी की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

वकील अप्रार्थी ने बहस का उतर देते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि को आमीनशाह की पैतृक सम्पत्ति माना हैं तथा वादीगण ने प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वादपत्र में प्रस्तुत कुर्सीनामें अनुसार न ही तो आमीनशाह के सारे वारिसों को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पक्षकार बनाया गया हैं और न ही प्रार्थीगण के पक्ष में गौण अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 विधिवत तामिल उपरान्त हाजिर अदालत आये, जबकी प्रार्थीगण ने उनका हक–हिस्से के सम्बन्ध में भी मांग की हैं। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 का हाजिर अदालत न आना व आमीनशाह के सारे वारिसों को पक्षकार नहीं बनाना यह दर्शाता हैं कि यह एक कुटरचित दावा हैं, जो केवल बदनियति से अप्रार्थीगण 01 ता 02 की खरीदशुदा जमीन को हड़पने की नियत मात्र से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार 1996 में विक्रय की गई जमीन के पैसों एवं प्रार्थीगण से लिये गये दो लाख रूपयों से सन् 2008 में जमीन पुनः खरीदी गई जिसमें आमीनशाह के सभी वारिस हकदार थे, लेकिन प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न तो इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 1996 में भूमि विक्रय करने पर प्राप्त रूपये पुनः 2008 में संपति क्रय करने तक यानि 12 वर्षो तक कहां रखे गये एवं न ही इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस माध्यम से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 को दो लाख रूपये अदा किये गये एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किये गयें। प्रार्थीगण के यह भी कथन किया कि 2008 में जमीन के क्रय के समय प्रार्थीगण संख्या 02 विदेश में न होकर यही मौजुद था और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता आमीनशाह भी मौजुद थे फिर किस कारण न तो प्रार्थीगण संख्या 02 को सन् 2008 में सम्पादित विक्रय पत्र में बतौर क्रेता शामिल किया गया और न ही वकील प्रार्थीगण द्वारा इसके साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये कि किस प्रकार से प्रार्थीगण संख्या 02 का नाम विक्रय पत्र में अंकित नहीं हुआ और इन सब के अलावा जब स्वयं आमीनशाह 2008 में मौजुद थे तो सम्पत्ति उनके पक्ष में ही क्रय क्यों नहीं की गई के सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई कथन नहीं किया गया हैं। प्रार्थीगण ने मूल वाद में कथन किया हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 तथा 04 ता 05 वादगत भूमि में संयुक्त रूप से शामलाती काश्त करते आ रहे है जबकी प्रार्थीगण–वादीगण द्वारा ही मूल वाद में कथन किया गया हैं कि वादीगण लगातार विदेश रहते आये हैं एवं उन्हें कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकी वादीगण–प्रार्थीगण का ही कथन है कि जब सन् 2008 में भूमि पुनः क्रय की गई

तब प्रार्थी संख्या 02 यही मौजुद था, जिसकी पुष्टि उसके पासपोर्ट से की जा सकती हैं और जब प्रार्थीगण द्वारा दो लाख रूपये अदा किये गये और आसपालसर में जमीन क्रय की गई एवं उस पर सामुहिक कब्जा काश्त बताया तब यह कथन कतई सत्य नहीं हो सकता की जिसने रूपये दिये उसको दरकिनार कर विक्रय पत्र का सम्पादन हो जायें और उसके उपरान्त फिर कब्जा–काश्त मिल जाये। यह व्यावहारिक तौर पर सम्भव नहीं हैं। सन् 1996 को जमीन क्रय करने पर मिले रूपये एवं दो लाख रूपये मिलाये तो लगभग सन् 2008 में सम्पादित में विक्रय पत्र की फेस वेल्यू रूपये तीन लाख हो जाते हैं। अब क्या यह सम्भव हैं कि जिन्होंने यानि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता द्वारा सम्पूर्ण राशि अदा की गई, जबकी विक्रय पत्र का सम्पादन किसी ओर के नाम हो जायें। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 से मनमुटाव के चलते अपने काका के पुत्र कासम को आगे कर आवासीय पट्टे के सम्बन्ध में भी अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 के खिलाफ अपने चाचा की जमीन के पट्टें पर पट्टा बनाने को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 –बी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 के विरूद्ध बयान किये गयें लेकिन उसमें भी तस्दीक उपरान्त एफ. आर. लगा दी गई, जो यह दर्शाता हैं कि प्रार्थीगण आदतन केवल अप्रार्थीगण को फसाने हेतु कुटरचित मुकदमें करते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णय क्षति के सिद्धात पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :</u> प्रार्थीगण–वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, प्लीडींग व वकुलाएं फरीकैन द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्को का विवेचन करने पर स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 ता 02 व 04 ता 05 स्व0 आमीनशाह के वंशज व संयुक्त परिवार के सदस्य हैं परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 वादगत भूमि के रिकॉडेड खातेदार हैं व यह भूमि इनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2008 से खरीदशुदा है एवं इस विक्रय पत्र के अनुसार विक्रताओं द्वारा इसी दिन सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा–काश्त व विवादित भूमि से सम्बन्धित समस्त अधिकार अप्रार्थीगण सं0 01 ता 02 को दे दियें। कानुनी तौर पर विवादित भूमि का मालिकाना हक अप्रार्थीगण सं0 01 ता 02 का ही हैं। प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं0 01 ता 02 व गौण अप्रार्थीगण 04 ता 05 के पिता आमीनशाह ने 1996 में अपनी पैतृक सम्पत्ति विक्रय की एवं 2008 में इस सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त रूपये व प्रार्थीगण से दो लाख रूपये लेकर पुनः आसपालसर–कुन्तलसर में विवादित भूमि खरीदी जिसमें आमीनशाह के सभी भइयों का ब0हि0ब0 हिस्सा होना था, लेकिन अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने चालाकी से अपने नाम करवा ली। लेकिन सम्पूर्ण पत्रावली में वकील प्रार्थीगण द्वारा 1996 से 2008 तक 1996 में विक्रित भूमि के रूपये कहां रखे गये। दो लाख रूपये अप्रार्थीगण 1 ता 2 को कब दिये गये व किस माध्यम से दिये गये के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, और न ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि जब 2008 में आमीनशाह मौजूद थे एवं प्रार्थी सं0 2 विदेश में न होकर यही मौजूद था तब किस प्रकार उनके साथ चालाकी कर विक्रय पत्र सम्पादित हुआ और यदि प्रार्थीगण का उसी समय से विवादित भूमि पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त था और प्रार्थीगण विदेश रहते थे तब उनके हिस्से की भूमि को किसके द्वारा काश्त की जाती थी। काश्त के सम्बन्ध में भी वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण–वादीगण द्वारा जिस प्रकार प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद में वाद हैतुक प्रस्तुत किया गया है वह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि यह सम्भव नहीं होता कि जमीन क्रय करने हेतु दो लाख रूपये व 1996 में विक्रित भूमि के रूपये देने वालों के बिना ही 2008 में विक्रय पत्र सम्पादित हो जाये। प्रार्थीगण के कथनानुसार यदि इसे सत्य भी मान लिया जाये तब कब्जा काश्त मिलने पर क्या 2008 से आज 2021 यानि 13 वर्षों तक प्रार्थीगण द्वारा जमीन से सम्बन्धित दस्तावेजों के बारे में न पता किया हो या पूछा हो ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता।

अतः सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि संयुक्त न होकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की स्वतन्त्र खातेदारी की भूमि है जिसके सम्बन्ध में अनेक अभिलेख पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा ही प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रार्थीगण विचाराधीन प्रार्थना पत्र के जरिये वैद्य खातेदार कृषकों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कने के अधिकारी नहीं है।

वर्णित विवेचना से यह तथ्य पाया गया है कि मौजूदा स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के पक्ष में होना पाया जाता है।

<u>सुविधा का सन्तुलनः</u> प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद व प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार से विवेचन किया गया है, उसके पक्ष में वादीगण–प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य

पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाना सिद्व होता है जिसके` कारण सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के पक्ष में होना पाया जाता है।

अपूरणीय क्षतिः जब अप्रार्थीगण 01 ता 02 वादगत भूमि के रिर्कोडेड खातेदार है तब अस्थाई व्यादेश जारी करने पर अपूरणीय क्षति भी इनको ही होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के पक्ष में है तो अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थीगण को न होकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 को ही होगी। ऐसी सूरत में अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के पक्ष में है।

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 01 व 02 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों शर्ते पक्षकार के पक्ष में निर्णित होना जरूरी हैं। इसके अलावा 2013 (3) डी.एन.जे. (राज.) 1006 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त होने के लिए तीन शर्ते हैं जो साथ–साथ स्थित होनी चाहिए। यदि इनमें से एक का भी अभाव होगा तो व्यादेश प्रदान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त चुकिं प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता हैं।

(रीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)